फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं पदेन् उपखण्ड अधिकारी, बाली जिला पाली (राजस्थान)

वादीगण	बनाम	प्रतिवादी
कुलदीप सिंह पुत्र मदनसिंह जाति राजपूत निवासी छोटी दुदनी तहसील बाली		राजस्थान सरकार जरिये (भूमिधारी) तहसीलदार बाली

किस्म मुकदमा राजस्व वाद GCMS NO. -2026/4

वाद अंतर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुये
06/01/26	तहसीलदार बाली से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव पर पत्रावली पेश हुई। पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड का अवलोकन किया गया। पत्रावली व 'उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन के पश्चात तहसीलदार बाली द्वारा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव के अनुसार ग्राम मोरी स्थित भूमि खसरा नंबर 518/12 कुल रकबा 1.0300 हैक्टर किस्म बारानी सोयम कुल लगान 4.1200 रूपये के रिकार्ड ऑफ राईट्स जमाबंदी में वादीगण के रिकार्ड में दर्ज हिस्सा अनुसार मौके पर किये गये विभाजन के अनुरूप राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 53 के तहत विभाजन की डिक्री जारी की जाती है। पटवारी हल्का, दूदनी एवं तहसीलदार बाली द्वारा प्रस्तुत विभाजन रिपोर्ट मय नजरी नक्शा को निर्णय व डिक्री पर्चा का भाग माना जावे। इसी कदर डिक्री पर्चा जारी हो। निर्णय के साथ तहसीलदार, बाली से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव की प्रति रिकार्ड में अमल दरामद व नक्शे में तरमीम के लिये तहसीलदार, बाली को भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। न्यायालय उप - खण्ड अधिकारी ★ बाली, जिला - पाली (राज.) सहायक कलक्टर एवं पदेन् उपखण्ड अधिकारी बाली सहायक कलेक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, बाली	

Scanned with OKEN Scanner

डिगरी बमुकदमें इब्तदाई
(ओ. 20 रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालत सहायक कलक्टर एवं पदेन् उपखण्ड अधिकारी, बाली जिला पाली (राजस्थान)
बइजलास श्री दिनेश विश्नोई, आर.ए.एस.

वादीगण	**बनाम**	**प्रतिवादी**
कुलदीप सिंह पुत्र मदनसिंह जाति राजपूत निवासी छोटी दुदनी तहसील बाली		राजस्थान सरकार जरिये (भूमिधारी) तहसीलदार बाली

किस्म मुकदमा राजस्व वाद GCMS NO. 2026/4
वाद अंतर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे समक्ष पेरोकार सरकार मिनजानिब मुद्दई व .... मिनजानिव मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन के पश्चात तहसीलदार बाली द्वारा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव के अनुसार ग्राम मोरी स्थित भूमि खसरा नंबर 518/12 कुल रकबा 1.0300 हैक्टर किस्म बारानी सोयम कुल लगान 4.1200 रूपये के रिकार्ड ऑफ राईट्स जमाबंदी में वादीगण के रिकार्ड में दर्ज हिस्सा अनुसार मौके पर किये गये विभाजन के अनुरूप राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 53 के तहत विभाजन की डिक्री जारी की जाती है। पटवारी हलका, दूदनी एवं तहसीलदार बाली द्वारा प्रस्तुत विभाजन रिपोर्ट मयं नजरी नक्शा को निर्णय व डिक्री पर्चा का भाग माना जावे। इसी कदर डिक्री पर्चा जारी किया। तहसीलदार बाली को इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामद एवं लट्ठा नक्शा में दुरस्ती सुनिश्चित करने के आदेश दिये जाते है। विभाजन प्रस्ताव के संलग्न प्राप्त नक्शा निर्णय का अभिन्न अंग रहेगा। वादग्रस्त भूमि पर बैंक रहन इस निर्णय से अप्रभावित रहेगा।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 06/01/26 को जारी की गई।

न्यायालय उप - खण्ड अधिकारी
बाली, जिला - पाली (राज.)

(दिनेश विश्नोई)
सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, बाली

राजस्थान सरकार

खसरा नक्शा एंव जमाबंदी(प्रतिलिपि)

NIC-BHUNAKSHA

जिला : पाली

तहसील : बाली

दिनांक : 20/05/2025 03:31:19 PM

पटवारी हल्का : दूदनी

ग्राम : मोरी

भू. अ. नि. क्षेत्र : बेडा

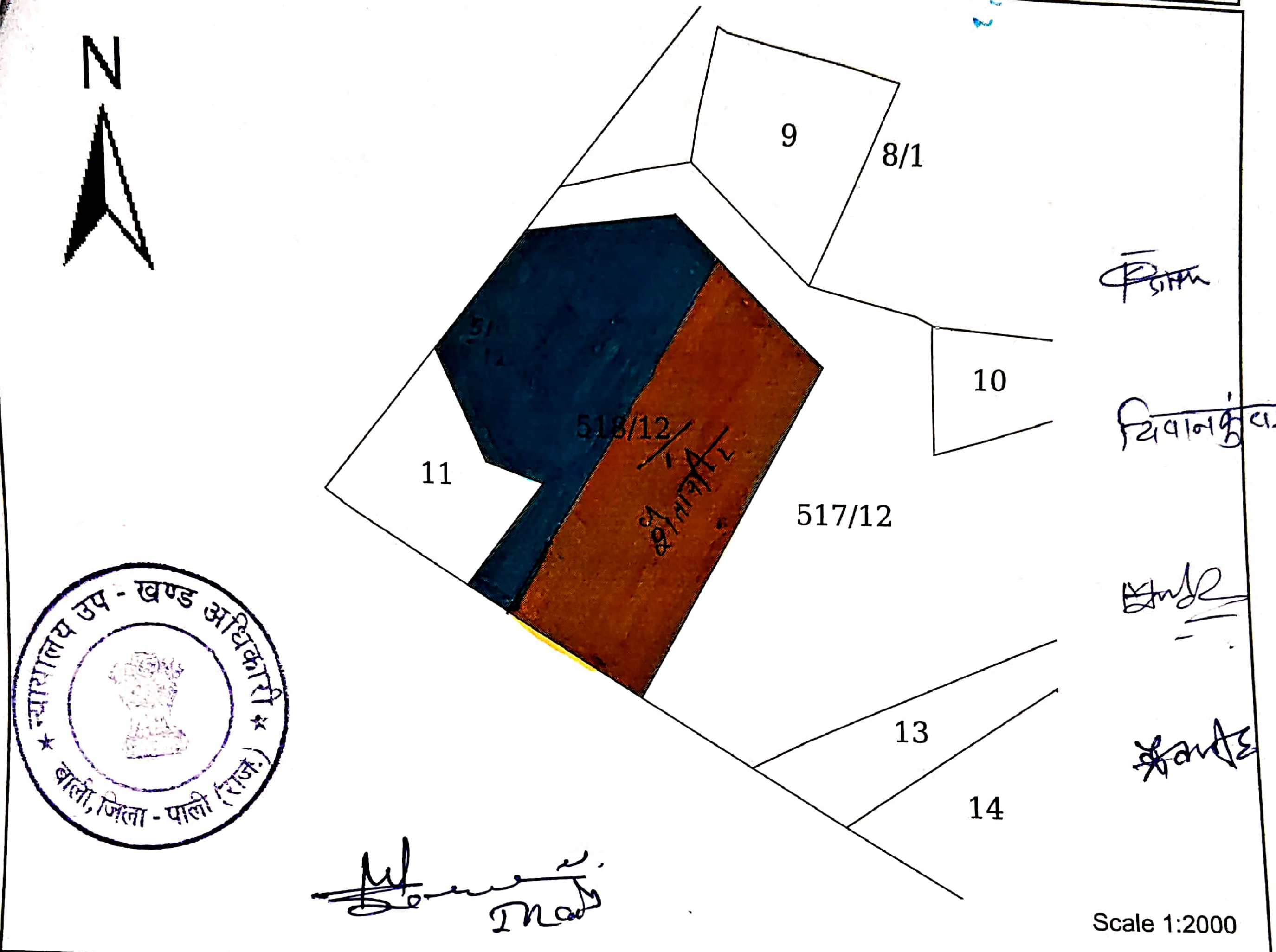

खसरा संख्या :518/12 क्षेत्रफल : 1.0300 Hectare खाता संख्या : 128पुराना खाता संख्या :126

भूमि किस्म[क्षेत्रफल लगान]: बारानी सोयम [1.0300, 4.12]

1.) कुलदीपसिंह पुत्र मदनसिंह हिस्सा- 1/6 जाति- राजपूत सा छोटी दुदनी खातेदार

2.) दीवान कुंवर पत्नि मदनसिंह हिस्सा- 1/6 जाति- राजपूत सा छोटी दुदनी खातेदार

3.) मनदीपसिंह पुत्र मदनसिंह हिस्सा- 1/6 जाति- राजपूत सा छोटी दुदनी खातेदार

4.) शैतानसिंह पुत्र मोतीसिंह हिस्सा- 1/2 जाति- राजपूत सा छोटी दुदनी खातेदार

तहसीलदार (भू.अ.) बाली

सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर एंव सील

पटवारी (भ.अ.)
पटवार मण्डल - दूदनी
तहसील - बाली (जिला-पाली)

नोट :- १. यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिए है।
२. इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में नहीं किया जा सकता है।
३. प्रविष्टियों में संशोधन/सत्यापित प्रतिलिपि हेतु सम्बंधित जिला/तहसील कार्यालय में संपर्क करें।

Scanned with OKEN Scanner